न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—62/2016/223 (2016/00062)

1. शिशुपाल पुत्र रामनाथ, जाति जाट, निवासी सूरजपोल गेटर के अंदर, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. जगदीश पुत्र चतुर्भुज,
2. लादी पुत्र चतुर्भुज,
3. मांगीलाल पुत्र चतुर्भुज,
4. सूरजकरण पुत्र भूरा,
5. जमनी पत्नी हीरा (फौत) जरिये वारिसानः—
   5/1— रामकिशन पुत्र हीरा,
   5/2— संतोष पुत्री हीरा,
   समस्त जाति जाट, निवासी सूरजपोल गेट के बार, केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
6. रामकिशन पुत्र हीरा,
7. संतोष पुत्री हीरा,
8. रामनारायण पुत्र जीवण,
9. लादू पुत्र जीवण,
10. गोपाल पुत्र रामनाथ,
11. सायरी पुत्री रामनाथ पत्नि जगदीश (फौत) जरिये वारिसानः—
    11/1— हंसा पुत्री जगदीश,
    11/2— समोदरा पुत्री जगदीश,
    11/3— अमरी पुत्री जगदीश,
    समस्त जाति जाट, निवासी सूरजपोल गेट के बाहर, केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
12. गुलाब पुत्री रामनाथ,
13. आशा पुत्री रामनाथ,
14. पानी पत्नी रामनाथ,
    समस्त जाति जाट, निवासी सूरजपोल गेट के बाहर, केकड़ी, तह0केकड़ी, जिला अजमेर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 27.11.2015 अंतर्गत वाद संख्या 33/2013.

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील अपीलांट।
2. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2, 4, 6 से 10.
3. रेस्पो0 संख्या 3, 5/1, 5/2, 11/1 से 11/3, 12 से 14 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 15.

निर्णय

दिनांकः— 06.09.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत वादग्रस्त आरायिजात खसरा नंबर 1338, 2587 हाल खसरा नंबर 5731 व 7236 रकबा क्रमशः 1.15 है0, 0.55 है0 अवस्थित केकड़ी तहसील केकड़ी बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात चतुर्भुज वल्द धन्ना कौम जाट साकिन देह खातेदार खुदकाश्त दर्ज थी । उक्त आराजियात पर वादीगण वर्षो से आज दिवस तक काबिज काश्त चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है । किन्तु बिना किसी आदेश व दस्तावेज के विवादित आराजियात को वादीगण को सूचना दिये बिना प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कर दी गई है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 का नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2015 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । वादी/रेस्पो0 ने अपने वाद के पैरा संख्या 2 में पक्षकारान का सजरा अंकित किया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट शिशुपाल, उगमा का पोता है एवं वादग्रस्त आराजी धन्ना की खातेदारी की आराजियात थी । वादग्रस्त आराजियात के अपीलांट के दादा उगमा रिकार्डेड खातेदार थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट का नाम वादग्रस्त आराजी से विलोपित करने बाबत् निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादीगण ने अपीलांट को वाद में प्रफोर्मा पक्षकार बनाया है जिससे यह स्पष्ट था कि अपीलांट के विरूद्ध वादीगण ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 का नाम विलोपित कर वादीगण के नाम खातेदारी घोषित की जावे जबकि वादपत्र में वादीगण ने अपीलांट को प्रफोर्मा पक्षकार बनाया है । ऐसी स्थिति में अपीलांट के विरूद्ध वादीगण को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता था बल्कि अपीलांट का नाम भी वादीगण के साथ खातेदार घोषित करने बाबत् आदेश पारित किया जाना चाहिये था । न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद में यदि तरतीबी पक्षकार बनाया गया है तो उसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। अधी0न्याया0 ने इस कानूनी तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अभिवचन से परे जाकर निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्राथना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय की सूचना अभिभाषक ने नहीं दी जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर अपीलांट को नहीं हो सकी थी । दिनांक 13.1.2016 को अपने अभिभाषक से संपर्क करने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई । तत्पश्चात् दिनांक 13.1.2016 को ही निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया कि जिस पर दिनांक 15.1.2016 को नकल प्रापत होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । जमाबंदी संवत् 1349 फसली के खाता संख्या 1 व 2 में दर्ज खसरा नंबर 1338 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2587 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा चतुर्भुज वल्द धन्ना कौम जाट साकिन देह खातेदार (खुदकाश्त) दर्ज थी । उपरोक्त आराजियात पर वादीगण/रेस्पो0 का वर्षो दराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर वादीगण/रेस्पो0 ही काबिज काश्त है। विवादित आराजियात रेस्पो0 की पुश्तैनी खातेदारी की आराजियात होने के बावजूद बिना किसी आदेश व दस्तावेज के तथा बिना वादीगण/रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कर दी गई जिसका राजस्व कर्मचारियों को कोई विधिक अधिकार नहीं था । रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से अपना वाद साबित किया है । खसरा गिरदावरियों से भी विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त रेस्पो0 का ही साबित होता है । विवादित आराजियात से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विष्लेषण उपरांत रेस्पो0/वादीगण का वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपना निर्णय मात्र 5–7 लाईनों में पारित किया है जिसमें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को विवेचन, विश्लेषण भी नहीं किया गया है जबकि अधी0न्याया0 को पत्रावली में वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को जवाबदावा का समुचित अवसर प्रदान कर जवाबदावा प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के संदर्भ में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के संबंध में अपने निर्णय में विवेचन, विश्लेषण नहीं किये जाने तथा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किये जाने से पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील

अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 06.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर